**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **131/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
राजकुमार देवपुरा निवासी मजिस्ट्रेट कॉलोनी, उदयपुर

..............अपीलार्थी

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांकः 15/09/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329642699708325 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3194998160 दिनांक 18.08.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/131/25/828–29 दिनांक 18.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ. /2025/2005/237 दिनांक 29.08.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा आवेदन कर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.1(14)UDH/UDAIPUR/2024-12946 दिनांक 28.05.2025 जारी होने के उपरान्त उक्त अधिसूचना में उल्लेखित ग्राम से सम्बन्धित किसी भूमि का संपरिवर्तन नियम 2007 के तहत तहसीलदार बड़गांव द्वारा किये गये संपरिवर्तन की सूचना चाही गई थी जो राजस्व विभाग से ली जाकर अपीलार्थी को इस कर्यालय के पत्रांक सू.अ./2025/2005/198 दिनांक 31.07.2025 से उपलब्ध करा दी गई है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक सू.अ./2025/2005/198 दिनांक 31.07.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बड़गांव द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**